(7)

Name of Road - Construction of Taknagunth to Dada Malla M/R Under PMGSY

Annexure-23(A)

Office of the Districts Collector,
District- Champawat (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District level Committee Constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) act (FRA), 2006

A meeting of the District Level committee of Champawat district (Uttarakhand) constituted under FRA 2006 was held the chairmanship of shri Dependra Kumar Chaudhari (IAS), District Magistrate Champawat (Uttarakhand) On 28-02-2015 at 12:00 pm. Champawat in which the application claiming rights in Kaknai, Danda Malla Village in Tashil Siri Poornagiri Area measuring 0.914 hec for the construction of **Taknagunth to Dada Malla M/R Under PMGSY** Champawat of the forest FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub- Division Level committee of Siri Poornagiri tahsil were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After Scrutiny of the Documents and Detailed discussion. No objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee reommends the above case diversion to the land for the said purpose.

(D.K. Chaudhari) I.A.S)
District Magistrate-cum-Chairman, District Level Committee, Champawat.

⑥ कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत (1·6)
संख्या 4487 दिनांक 20-2-15

Name of Road - Construction of Taknagunth to Dada Malla M/R Under PMGSY

Annexure-I

FROM-1

Government of Uttarakhand
Office at the district collector Champawat

No..1982 Date 28.2.15

TO WHOWSOEYER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter.No.11-9/98-FG (pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest rights)Act,2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 09.14 hectares of forest land proposed to be diverted in favor **of PMGSY Lohaghat** (Champawat) (name of user agency) for **Construction of Taknagunth to Dada Malla M/R Under PMGSY** (Purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of Kaknai, Danda Malla village(s) in Siri Poornagiri Tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 09.14 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabah(s) sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure (a) to (e)

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिलाधिकारी
चम्पावत

(8)

(6)

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नाम :– **जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज–8 के अन्तर्गत टकनागूॅठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 16.000 कि0मी0**

कार्यालय उप जिलाधिकारी श्री पूर्णागिरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी
सी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण –पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चम्पावत।

उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अर्न्तगत **पी0एम0जी0एस0वाई फेज–8 के अन्तर्गत टकनागूॅठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण हेतु** (आरक्षित वन भूमि 2.940 हे0 सिविल सोयम भूमि 4.200 हे0, वन पंचायत भूमि 0 हे0) अर्थात कुल 09.14 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग (कार्यदायी संस्था सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई लोहाघाट) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील श्री पूर्णागिरी) की दिनांक 23.01.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 कि अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जसवंत सिंह राठौर, उप जिलाधिकारी श्री पूर्णागिरी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यो की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री जयवंत सिंह राठौर, उपजिलाधिकारी श्री पूर्णागिरी -- अध्यक्ष
2– श्री प्रकाश चन्द्र आर्या, उप प्रभागीय वनाधिकारी शारदा – सदस्य
3– श्री .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत -- सदस्य / सचिव
4– श्री अर्जुनराम.............. बी0डी0सी0 क्षेत्र कक-15 – सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि

" **जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज–8 के अन्तर्गत टकनागूॅठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य** परियोजना हेतु 09.14 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग (कार्यदायी संस्था सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई लोहाघाट) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी शारदा रैंज द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपरागत वन निवासी (वनधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधानो को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यो को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस संबध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मिति से उपखुण्ड पाटी परिक्षेत्र के अर्न्तगत **जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज–8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु 09.14 हे0 वन भूमि का सीमा सड़क संगठन, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त कर गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील श्री पूर्णागिरी, जनपद चम्पावत

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपजिलाधिकारी

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील...
जनपद..

तहसीलदार
तहसील पूर्णागिरी (टनकपुर)
जनपद चम्पावत

अनीराम (क्षेत्र पंचायत सदस्य ...)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
शारदा उप प्रभाग हल्द्वानी

प्रपत्र–30

परियोजना का नाम :– **जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज–8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 16.000 कि0मी0**

<u>वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>
ग्राम पंचायत का नाम– ककनई, डाडामीनार
तहसील-– श्री पूर्णागिरी, जिला– चम्पावत।
<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में पी0एम0जी0एस0वाई फेज–8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण में (आरक्षित वन भूमि 2.940 हे0 सिविल सोयम भूमि 4.200 हे0, वन पंचायत भूमि 0 हे0) अर्थात कुल 09.14 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग (कार्यदायी संस्था सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई लोहाघाट) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~ककईन~~ ककनई, डाडामल्ला द्वारा दिनांक 23-01-15 को सम्पन्न ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्राम वासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ककनई, डाडामल्ला के ग्राम वासियो को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग (कार्यदायी संस्था सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई लोहाघाट) प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत
ह0/–
ग्राम प्रधान

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। – **<u>आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।</u>**

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

(11)

(6)

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नाम :– **जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज–8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 16,000 कि0मी0**

दिनांक 23-01-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ककनई, डाडामीनार

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1	मोहनसिंह प्रधान ककनई	[signature]
2	बिशनसिंह	बिशनसिंह
3	केदारसिंह	केदारसिंह
4	दिवानसिंह	दिवानसिंह
5	सीता देवी	सीता देवी
6	पारवती देवी	पारवती देवी
7	भवानसिंह	भवानसिंह
8	दलीपसिंह	दलीपसिंह
9	बरमराम	बरमराम
10	दलीपराम	दलीपराम
11	अनीराम B.D.C	अनीराम (क्षेत्र पंचायत)
12	केदारसिंह	केदारसिंह
13	लक्ष्मणसिंह	लक्ष्मणसिंह
14	मानसिंह	मानसिंह
15	भिमसिंह	भिमसिंह
16	हयातसिंह	हयातसिंह [illegible]
17	स्वरूपसिंह	स्वरूप सिंह
18	प्रेमसिंह	प्रेमसिंह [illegible]
19	पंचमसिंह	पंचमसिंह

[signature]
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत ककनई मल्ली
वि0ख0/जिला चम्पावत

[signature] J.E

[signature]
सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट

[signature]
अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट(चम्पावत)

प्रारुप–30.4

दिनांक 23-01-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत ककराई

कमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री प्रेमसिंह S/o कलीपालसिंह	प्रेमसिंह
2-	लक्ष्मणसिंह S/o श्यामसिंह	लक्ष्मणसिंह
3-	स्वरूपसिंह S/o श्यामसिंह	[illegible]
4-	श्यामसिंह S/o मोहनसिंह	श्याम सिंह
5	केदारसिंह S/o दारासिंह	केदारसिंह
6-	तेजासिंह S/o शंकरसिंह	तेजासिंह
7-	मान सिंह S/o फतेह सिंह	मानसिंह
8-	विरेन्द्र सिंह S/o प्रेमसिंह	बिरेन्द्र सिंह
9-	मोहन सिंह S/o देवासिंह	मोहनसिंह
10-	पूरनसिंह S/o —	पूरनसिंह
11-	बचीसिंह S/o सन्तोष सिंह	बचीसिंह
12,	मानसिंह S/o जोध सिंह	मानसिंह
13	पुष्करसिंह S/o रघुनाथ सिंह	पुष्करसिंह
14-	उमेदसिंह S/o स्व. श्री देवासिंह	उमेदसिंह
15-	मोहन सिंह S/o श्री हरिश्चन्द्रसिंह	मोहन सिंह
16-	जोधसिंह S/o श्री देवासिंह	जोधसिंह
17-	हरीशसिंह S/o श्री सन्तोषसिंह	हरीशसिंह
18-	श्याम सिंह S/o श्री सन्तोषसिंह	श्यामसिंह
19-	सन्तोषसिंह S/o श्री स्व. देवासिंह	सन्तोषसिंह
20-	नारायणसिंह पुत्र देवासिंह	नारायणसिंह
21-	रतन सिंह S/o रामसिंह	रतनसिंह
22-	लक्ष्मण सिंह S/o श्री हयात सिंह	लक्ष्मण सिंह
23-	श्याम सिंह S/o प्रेम सिंह	श्यामसिंह
24-	ईश्वर सिंह S/o फतेह सिंह	ईश्वरसिंह

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
25	रामसिंह S/o लक्ष्मण सिंह	रामसिंह
26	बिशनसिंह S/o त्रिलोक सिंह	
27	जमन सिंह S/o लोधासिंह	
28	शंकर गहतोड़ी (प्रतिभाग)	
29	रुद्र सिंह प्रहलाद सिंह	रुद्रसिंह
30	नारायण सिंह	नारायणसिंह
31	भवानसिंह	भवानसिंह
32	पान सिंह महरा	

ह0 / –

ग्राम प्रधान

प्रारुप–

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0, फेज–16 के अन्तर्गत टकनागूंठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग का निर्माण, लम्बाई 16.000 कि0मी0।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नामः– ककनई, डांडामल्ला
तहसील– श्री पूर्णागिरी, जिला–चम्पावत

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चम्पावत के अन्तर्गत टनकागूंठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (5.220 हे0 नाप भूमि, 3.940 हे0 आरक्षित वन भूमि, 5.200 हे0 सिविल सोयम वन भूमि) अर्थात कुल 18.280 हे0 वन भूमि का **पी0आई0यू0, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत** विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **ककनई, डांडामल्ला** द्वारा दिनांक 23-01-15 को सम्पन्न **ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक** में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **ककनई, डांडामल्ला** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टकनागूंठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग (16.000 किमी0) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को वनविभाग को हस्तान्तरित एवं चयनित भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने में ग्रामवासी कोई आपत्ति नही है।

मक डिस्पोजल हेतु चयनित भूमि पर मलबा डालने में ग्रामवासीयों को कोई आपत्ति नही हैं। उक्त चयनित भूमि में किसी प्रकार का **ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, शमषान घाट, कब्रिस्तान, चर्च** आदि स्थित नही है, तथा इस भूमि को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक उपयोग में नही लायी गई है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –
ग्राम सचिव

ह0 / –
ग्राम प्रधान लक्ष्मी देवी
प्रधान
डांडा ग्राम पंचायत डांडा मल्ला
वि0/ख0/ चम्पावत

कौशल्या देवी
सरपंच
वन पंचायत डांडा

प्रारुप–30.4

दिनांक 23-01-15 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत डाडां मल्ला

कमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री प्रेमसिंह बोरा	[signature]
2-	श्री हयातसिंह	हयात सिंह
3-	श्री प्रताप सिंह	प्रतापसिंह
4-	श्री कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
5-	श्री कमल ~~सिंह~~ राम	कमल राम
6-	श्री विजय लाल	[signature]
7-	श्री लक्ष्मण राम	लक्ष्मण राम
8-	श्री बच्ची राम	बची राम
9-	श्री गोविन्द राम	गोविन्द राम
10-	श्री राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
11-	श्री सुरेश सिंह	[signature]
12-	श्री जगदीश राम	जगदीशराम
13-	श्री राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
14-	श्री रमेश राम	[signature]
15-	श्री देवराम	देवराम
16-	श्री पान सिंह बिष्ट	पान सिंह बिष्ट
17-	श्रीमती तारा देवी	तारा बिष्ट
18-	श्री रघुवीर सिंह	[signature]
19-	श्री भरत सिंह	भरतसिंह
20-	श्रीमती पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
21-	श्री कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
22-	श्री आन सिंह	आन सिंह
23-	श्री मनोज सिंह	[signature]
24-	श्री भिवराज सिंह	भिवराज सिंह

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
25.	श्री लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मणसिंह
26.	श्री पान सिंह	[illegible]
27.	श्री कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
28.	श्री नारायण सिंह	[illegible]
29.	श्री गोपालसिंह	गोपालसिंह
30.	श्री भूपसिंह	भूपसिंह
31.	श्री कृष्णाराम	कृष्णाराम
32.	श्री दिवानसिंह	दिवानसिंह
33.	श्री हरराम	हरराम
34.	श्री नारायणसिंह	नारायणसिंह
35.	श्री गोपालसिंह	गोपालसिंह
36.	श्री प्रतापसिंह	प्रतापसिंह
37.	श्री कृष्णाराम	कृष्णाराम
38.	श्री प्रतापसिंह	प्रतापसिंह
39.	श्री विक्रमसिंह	बिक्रमसिंह
40.	श्री मोनसिंह	मोनसिंह
41.	श्री हयातसिंह	हयातसिंह
42.	श्री श्यामसिंह	श्यामसिंह
43.	श्री लक्ष्मणसिंह	लक्ष्मणसिंह
44.	श्री मानसिंह	मानसिंह
45.	श्री उमेदसिंह	[illegible]
46	श्री वीरेन्द्रसिंह	वीरेन्द्र सिंह
47	श्री कैलाशसिंह	कैलाशसिंह
48	श्रीमति बसन्ती देवी	बसन्ती देवी
49	कु० पार्वती बोहरा	पार्वती बोहरा
50	श्री देवसिंह	देवसिंह
51	श्री चतुरसिंह	चतुर सिंह

ह० / –

ग्राम प्रधान

खष्टीदेवी
प्रधान
ग्राम पंचायत डांडा मल्ला
वि०/ख०/ चम्पावत

[illegible]
सरपंच
वनपंचायत डांडा